न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00071)

1. श्रीमती मेवी देवी पत्नी स्व. मंगलाराम
2. गोपीराम उर्फ गोपालराम पुत्र स्व. मंगलाराम
3. संतलाल उर्फ संतराम पुत्र स्व. मंगलाराम
4. डूंगरराम पुत्र स्व. मंगलाराम
5. मदनलाल पुत्र स्व. मंगलाराम
6. नोरगराम पुत्र स्व. मंगलाराम

जाति कुम्हार
निवासीगण मालपुरा
तहसील रतनगढ
जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री मनोज कुमार ठठेरा – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 02–01–2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू ने अपने निर्णय दिनाक 08.07.2016 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर ग्राम मालपुर के खसरा नं. 205 गै. मू. रास्ता की 15 बिश्वा भूमि पर से गैर सायल को बेदखल कर भूमि कब्जे राज ली जावे तथा मौके पर रास्ता खुलवाया जाकर चालू किया जावे। गैर सायल पर भू राजस्व लगान की 50 गुणा राशि रूपये 21/– इक्कीस रूपये मात्र का तावान आरोपित करने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार रतनगढ के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू मे पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा जबावदेही में उठाये गये तथ्यो पर कोई जांच व गौर नही किया है। गत सैटलमेन्ट से पूर्व गत खसरा नं.131 तादादी 55 बीधा 4 बिश्वा रोही ग्राम मालपुर की भूमि अपीलान्ट्स के पिता व पति मंगलाराम की खातेदारी भूमि रही है, जिसमें कोई कटाणी मार्ग नही थां। गत सैटलमैन्ट संवत 2030 के बाद जो नया रेकार्ड तैयार किया गया है जिसके अनुसार नये खसरा नं. 201 तादादी 10 बीधा 12 बिश्वा व 203 तादादी 30 बीधा 18 बिश्वा व खसरा नं. 212 तादादी 12 बीधा 5 बिश्वा कुल रकबा 53 बीधा 15 बिश्वा बनाये जाकर खातदारी दर्ज किये है। अपीलान्ट की गत खसरा नं.131 की भूमि मे 15 बिश्वा भूमि खसरा नं. 202 जो रास्ते का है उसमे शामिल की है तथा आवागमन हेतु चालू है। उक्त रास्ता भी पुराने बन्दोबस्त 2001 व 2030 के बीच मे खिसक गया था। अपीलान्ट्स ने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में से मौके के विपरित रास्ते का अंकन कर दिये जाने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ मे दावा सं. 56/2016 अनुवानी मेवीदेवी बनाम राजस्थान सरकार पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है तथा इसी अनुवान का अस्थाई निषेघाज्ञा न्यायालय प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जिसमे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट भी पत्रावली में मंगवाई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयान नही लिये गये और पटवारी की एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। सदभाविक विवाद के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मामले मे धारा 91 एल आर एक्ट लागू नही होती है। अपीलान्ट्स के दावे मे प्रतिवादी तहसीलदार रतनगढ व पैरोकार नायब तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश बनकर कार्य किया जा रहा है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन रिपोर्टस के आधार पर दस्तावेजो को साबित माना है उन दस्तावेजो पर प्रदर्श नही लगे थे इसलिए उन दस्तावेजो को साबित मानते हुए निर्णय में शामिल काननून नही किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार रतनगढ व जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे। और अपीलान्ट्स के नियमित दावा के निर्धारण से पूर्व अपीलान्ट्स के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नही करने हेतु निर्देशित किया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में DNJ 1995 (SC) पृष्ठ 208, RRD 1980 पृष्ठ 483, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। नायब तहसीलदार रतनगढ ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2016 को अपीलान्ट को ग्राम मालपुर के खसरा नं. 205 गै. मु. रास्ता की 15 बिश्वा पर अतिक्रमण मानते हुए पारित किया है, जबकि अपीलान्ट का अपीलीय न्यायालय व इस न्यायालय में कथन है कि खसरा नं. 205 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के न्यायालय में वाद सं. 56/2016 विचाराधीन है जिसमें रिकार्ड व मौका की यथास्थिति के आदेश जारी किये हुए है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद दिनांक 01.08.2016 को संस्थित किया गया है जो कि नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 08.07.2016 के पश्चात प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति मे नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 में कोई त्रुटि नही है। साथ ही जिला कलक्टर चूरू ने अपील में उठाये गये सम्पूर्ण बिन्दुओ पर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विस्तृत विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है इसलिए उनके निर्णय दिनांक 04.01.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर